न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 82/2015

उनवान

(1) गौतम पिता कचरा निनामा जाति आदिवासी निवासी वेडवा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) कलु उर्फ नानीया पिता कचरा निनामा जाति आदिवासी निवासी वेडवा तहसील गढी।

—: वादीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 28.12.2022

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि आराजी नम्बर पुराना 1192/41 नया 38/1858/1929 रकबा 25 एयर वाके ग्राम नवापादर तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित होकर उक्त भूमि का मूल पुरूष कचरा पिता मंगलिया थें। कचरा की मृत्यु होने पर उसके दोनो पुत्र वादीगण इसके स्वामी खातेदार हुऐ परन्तु सेटलमेंन्ट अधिकारियों की त्रुटी से राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण का नाम दर्ज करने की जगह श्रीसरकार दर्ज रिकार्ड कर लिया जिससे वादीगण अपने अधिकारों से वंचित होकर अपनी भूमि का सही उपभोग एंव विकास नहीं कर पार रहे है तथा भूमाफिया अतिक्रमण कर रहें है। उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त कर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक होने से हस्ब धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव राजस्व रिकार्ड में शुद्धि हेतु धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि जमाबन्दी खाता संख्या 74 के सर्वे नम्बर 1192/41 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री गोतम ना.बा.मु. गोकर बेवा कचरा जाति भील के नाम जमाबन्दी वर्ष 2025 से 28 में खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। राजस्व कर्मियों की त्रुटी से वादग्रस्त भूमि श्रीसरकार दर्ज नही की गई बल्की ग्राम नवापादर के सेटलमेंन्ट पूर्व के नामान्तरकरण संख्या 210 से रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि तहसील आदेष कमांक: 285—92 दिनांक 30.9.1977 के द्वारा खातेदार गातम पिता कचरा ना.बा.सरपरस्त माता गोकर बेवा कचरा के नाम से भूमि आबादी में परिवर्तन होने से श्रीसरकार दर्ज की गई। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त बन्दोबस्त के नविन खसरा नम्बर 18 रकबा 1.43 हे0 व खसरा नम्बर 38/1858/1929 रकबा 0.25 हे0 किस्म आबादी श्रीसरकार दर्ज होकर खाता संख्या 01 में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में पक्के मकान लगभ्राग 40 वर्ष पुराने बने हुऐ होना अवगत कराया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गई:—

(1) आया वाद—पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 38/1858/1929 ग्राम नवापादर में स्थित है, जिसका सेटलमेंन्ट कर्मचारियों की त्रुटी से वादीगण के बदले वादीगण की भूमि को श्रीसरकार दर्ज रिकार्ड कर लिया गया।

—: वादीगण

(2) आया राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी से [illegible] नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर भूमि को श्रीसरकार दर्ज किया गया, जिसको [illegible] राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है।

—: वादीगण

(3) आया वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या [illegible] दिनांक 30.9.1977 के द्वारा [illegible] आदेश संख्या 285—92, खातेदार गोतम का नाम हटा[illegible] श्रीसरकार आबादी दर्ज [illegible] तथा वर्तमान में कई मकान बने हुऐ है, जिससे यह वाद खारिज होने योग्य है।

—: प्रतिवादी तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(4) अनुतोषः—

प्रकरण में कायम की गई तनकियात् नीचे वर्णित अनुसार निर्णित की गईः—

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। परन्तु तहसीलदार (भूमिधारी) की ओर से प्रस्तुत जवाब एंव संलग्न राजस्व अभिलेख अनुसार वादग्रस्त भूमि तहसीलदार के आदेश अनुसार नामान्तकरण सख्या 210 के द्वारा श्रीसरकार आबादी दर्ज होने से उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। परन्तु तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाने से उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है। प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा प्रस्तुत जवाब एंव संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रकरण में वादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न राजस्व अभिलेख तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का खेरन का पारड़ा के मौजा नवापादर की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 01 (नई) 232 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 38/1929 रकबा 0.25 हे0 भूमि निवास या वास (चरागाह के लिये नही) दर्ज रिकार्ड है, जो विधि सम्मत है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र पोषणिय नही होने से वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

आदेश

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र पोषणिय नही होने से वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर ईस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 82/2015

उनवान

(1) गौतम पिता कचरा निनामा जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) कलु उर्फ नानीया पिता कचरा निनामा जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी।
—: वादीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा। —: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक:28.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद—पत्र पोषणिय नही होने से वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर ईस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner